सं॰सं॰ : वि॰प्र॰ 6ए–12/2013...833/वि॰

झारखण्ड सरकार
योजना–सह–वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

रॉंची/दिनांक....13/05/2020

संकल्प

विषय : **राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।**

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰ (2), दिनांक 28.02.2009 के द्वारा राज्य सरकार के सेवीवर्ग को केन्द्र सरकार के कर्मियों के भाँति दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से छठा पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान/वेतन संरचना की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त संकल्प की कंडिका–15 (ई॰) के अनुसार राज्य कर्मियों को केन्द्रीय दर पर महँगाई भत्ता स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। वित्त विभागीय संकल्प सं॰ 217/वि॰ दिनांक 18.01.2017 के द्वारा राज्य कर्मियों को सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ दिया गया है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या– 1/3(1)/2008 E.II (B), दिनांक 25.10.2019 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना (छठा वेतनमान) में दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर को 154% (एक सौ चौवन प्रतिशत) से बढ़ाकर 164% (एक सौ चौसठ प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र के अनुरूप राज्य कर्मियों, जिनका सप्तम वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण नहीं हुआ है। उनके मामले में अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर को निम्नवत् संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :–

"राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान/वेतन संरचना का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि॰ (2), दिनांक 28.02.2009 के द्वारा किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से वेतन का 164% (एक सौ चौसठ प्रतिशत) महँगाई भत्ता स्वीकृत किया जाय"।

4. झारखंड सेवा संहिता के परिभाषित नियम–34(ए) के अनुसार मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय है, परन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर देय नहीं होगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 525/वि॰ दिनांक 24.02.2020 के क्रम में दिनांक 17.03.2020 की बैठक के मद सं॰ 15 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाये तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक॰), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के॰ के॰ खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

Scanned with CamScanner

ज्ञापांक : वि०प्र० 6ए–12/2013 833/वि० राँची, दिनांक 13/05/2020

प्रतिलिपि : माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/महालेखाकार (लेखा एवं हक•), झारखंड, राँची/मुख्य सचिव के सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप–कोषागार पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/ वित्त (वै•दा•नि•को•) प्रभाग, झारखंड, राँची/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना–सह–वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महँगाई भत्ते की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय/सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने तथा पी०एम०यू० कोषांग के सहायक प्रोग्रामर को विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

Kailam 13/5/20

(के॰ के॰ खण्डेलवाल)
अपर मुख्य सचिव,
योजना–सह–वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

Scanned with CamScanner